भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

आरपीएफसी-I (दिल्ली) – उत्तर द्वारा ईपीएफ व एमपी अधिनियम, 1952 की धारा - 14 बी के अंतर्गत भाविप्रा को एक समन जारी किया गया था जिसमें भाविप्रा को प्रशासन और निरीक्षण शुल्क सहित पेंशन अंशदान और ईडीएलआई अंशदान हेतु बैंक/पीएफ कार्यालयों को किए गए भुगतान की पावती व चालान की प्रतियां प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, ताकि 01/04/1995 (यानी कवरेज की तिथि) से 22/08/2007 (यानी कवरेज देने की तिथि) तक की अवधि के लिए ब्याज और क्षति की मात्रा निर्धारित की जा सके। तदनुसार सहायक भविष्य निधि आयुक्त (क्षतिपूर्ति) ने अपने पत्र दिनांक 30/05/2012 के माध्यम से ईपीएफ और एमपी अधिनियम की धारा 7क्यू और 14बी के अंतर्गत क्रमशः रु. 132,60,29, 632/- और रु. 227,16,79,272/- के ब्याज और हर्जाने की मांग की है। (यह उल्लेखनीय है कि ब्याज/ हर्जाने की गणना कर्मचारियों द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर की गई है)।

यह भी सूचित किया जाता है कि अब तक 11 सुनवाई हो चुकी है तथा पिछली सुनवाई दिनांक: 24/08/2012 को हुई थी व अगली सुनवाई दिनांक: 24/09/2012 को निर्धारित की गई है।

इसी बीच, भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 13/08/2012 के पत्र में यह उल्लेख किया है कि संबंधित कार्यालयों द्वारा दिनांक 22/11/2006 के आंतरिक परिपत्र के अनुसार कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है या कोई सूचना नहीं दी गई है तथा अतिरिक्त अंशदान को त्रुटिपूर्ण अंशदान मानते हुए पेंशन योग्य वेतन सांविधिक उच्चतम सीमा तक सीमित किया जाएगा। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि उनके कार्यालय ने रु. 6,500/- प्रति माह की पेंशन योग्य वेतन सीमा को सीमित कर भाविप्रा के सभी पेंशन दावों का निपटान करने का निर्णय लिया है तथा पारिश्रमिक सीमा की अधिकतम सांविधिक दर यानी रु. 6,500/- प्रति माह तक संशोधित वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया है। इस विषय को उन्होंने अपने दिनांक 22/08/2012, 27/08/2012 व 05/09/2012 के नोटिसों के माध्यम से अनुस्मरण कराया है कि अधिकतम वेतन के आधार पर विवरणियां प्रस्तुत करनी है (कर्मचारियों द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर नहीं)। दिनांक: 13/08/2012 के पत्र की प्रति संलग्न है।

यह स्पष्ट है कि कार्रवाई समाप्त होने से पहले ही अब आरपीएफसी द्वारा यू टर्न लिया जा रहा है तथा अधिकतम वेतन पर अंशदान और लाभ को सीमित किया जा रहा है। अतः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रबंधन द्वारा भविष्य निधि प्राधिकारियों की कार्रवाई के विरुद्ध संभावित कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।

****